न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–राहुल कुमार मल्हौत्रा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 101/2020 **दायर दिनांकः 06/08/2020**

उनवान

1. सत्यनारायण उम्र 23 वर्ष पुत्र भीमराज जाति नागर निवासी टिगरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. मुरारी उम्र 21 23 वर्ष पुत्र भीमराज जाति नागर निवासी टिगरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. भीमराज उम्र 48 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति नागर निवासी टिगरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. गुड्डी उम्र 27 वर्ष पुत्री भीमराज जाति नागर निवासी टिगरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. मीना उम्र 25 वर्ष पुत्री भीमराज जाति नागर निवासी टिगरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री परवेश मेहता।

आदेश दिनाकः 27/08/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल टिगरी तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 85 ख0नं0 190 की रकबा 1.97 है0 ख0न0 365/567 की रकबा 0.04 है0, ख0नं0 422 की रकबा 1.30 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 3.31 है0 का सम्पूर्ण हिस्सा तथा खाता संख्या 124 की ख0नं0 94 की 2.96 है0 भूमि में हिस्सा 1/3 प्रतिवादी क्रम 1 के खाता दर्ज चली आ रही है नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 नक्शा ट्रेस ग्राम पंचायत का वारिसान प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी जानकीलाल के खाते दर्ज

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.09.15 14:01:58 IST
Reason: SelfAttested

थी उक्त आराजी प्रतिवादीक्रम 1 को पिता जानकीलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादीक्रम 1 की सन्ताने है। जो अपने दादा जानकीलाल की सम्पति में जन्म से ही अधिकार रखती है। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादीक्रम 1 ल 3 अपने अपने हिस्से को काश्त करते चले आ रहे है। खाता संख्या 85 की कुल किता 3 की 3.31 है0 आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीक्रम 1 का 1/5, 1/5 बनता है। एवं खाता संख्या 124 की 1 किता 2.96 है0 आराजी में 1/15, 1/15 बनता है। जिसको वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी मे से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करने का निवेदन प्रतिवादीक्रम 1 से किया तो प्रतिवादीक्रम 1 ने वादीगण के नाम अमल से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने से साफ मना कर दिया वादीगण ने पुनः दिनांक 18.07.2020 को प्रतिवादक्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी को अलग हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावे। परंतु प्रतिवादीक्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै0 सी0 सी0 नही बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले सकते एवं अपने हिस्से की आराजी का विकास नही कर सकते जिससे वादीगण को काफी नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का उक्त मे जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादक्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। उक्त आराजी पर बैंक का रहन हमारे खाते की आराजी पर दर्ज कर दिया जावें तो हमें कोई आपत्ति नही होगी। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादीक्रम 1 द्वारा वादीगण का नाम हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने से मना करने पर व अंतिम बार दिनांक 18.07.2020 को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादीगण का नाम हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने से साफ मना करने पर माननीय न्यायालय की सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल टिगरी तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 4 बनाया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.09.15 14:01:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में से वादीगण तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के मुताबिक हिस्सा खाता संख्या 85 की कुल किता 3 का रकबा 3.31 है0 आराजी में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/5, 1/5 तथा खाता संख्या 124 की 1 किता का रकबा 2.96 है0 में से 1/15, 1/15 राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ल 3 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण का हिस्सा खाता संख्या 85 की कुल किता 3 की कुल रकबा 3.31 है0 में हिस्सा 1/5, 1/5 बनता है। व खाता संख्या 124 की 2.96 है0 आराजी में 1/15, 1/15 बनता है। जिसको वादीगण प्रतिवादीगण क्रम 1 से प्राप्त करेगें एवं प्रतिवादीगण 2 व 3 की इसी प्रकार अपना हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 से प्राप्त करेगें जिसमें वादीगण व प्रतिवादी गण सहमत है यानि खाता संख्या 85 में 3.31 है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/3, 1/3 बंटवारा कर दिया जाने में खाता 124 की 2.96 है0 आराजी में प्रतिवादीगण एवं वादीगण का हिस्सा 1/15, 1/15 कर दिये जाने में वादीगण व प्रतिवादीगण सहमत है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित खाता संख्या 85 की कुल किता 3 का रकबा 3.31 है0 में प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का हिस्सा व खाता संख्या 124 का रकबा 2.96 है0 में प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का हिस्सा वादी क्रम 1 व 2 को बिना प्रतिफल के हकत्याग कर रही है। इसमें सभी वादी व प्रतिवादीगण सहमत है।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामें अनुसार वादी निर्णय डिक्री कर दिये जाने की कृपा करें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान श्री विनोद प्रताप सिंह एड़0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री परवेश मेहता एड0 द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.09.15 14:01:58 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी ग्राम टिगरी की खाता संख्या 124 किता 1 रकबा 2.96 है0 भूमि में हिस्सा 1/3 रहन बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई व ग्राम टिगरी की खाता संख्या 85 किता 3 रकबा 3.31 है0 रहन बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है। उक्त आराजी पूर्व में प्रतिवादी कम 1 के पिता व वादीगण के दादाजी जानकीलाल के खाते दर्ज थी जो पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम टिगरी की खाता संख्या 85 की किता 3 का रकबा 3.31 है0 सम्पूर्ण हिस्से में से वादीगण 1 ल 2 व प्रतिवादी कम 1 ल 3 को 1/5, 1/5 हिस्से का तथा खाता संख्या 124 किता 1 रकबा 2.96 है0 मे प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/3 में वादीगण 1 ल 2 व प्रतिवादी कम 1 ल 3 को 1/15, 1/15 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी कम 2 व 3 ने अपना सम्पर्ण हिस्सा अपने भाई वादी कम 1 व 2 के पक्ष में बिना प्रतिफल प्राप्त किये हकत्याग कर दिया गया है।

अतः ग्राम टिगरी की खाता संख्या 85 किता 3 कुल रकबा 3.31 है0 में वादी कम 1 व 2 का हिस्सा 2/5, 2/5 व प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/5 तथा खाता संख्या 124 किता 1 रकबा 2.96 है0 में प्रतिवादी कम 1 के हिस्से 1/3 मे से बाद हकत्याग वादी कम 1 व 2 का हिस्सा 2/15, 2/15 व प्रतिवादी कम 1 को 1/15 हिस्से का खातेदार कृषक हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा करने की शर्त पर घोषित किया जाता है। रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.09.15 14:01:58 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री राहुल कुमार मल्हौत्रा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 101/2020

उनवान

1. सत्यनारायण उम्र 23 वर्ष पुत्र भीमराज जाति नागर निवासी टिगरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. मुरारी उम्र 21 23 वर्ष पुत्र भीमराज जाति नागर निवासी टिगरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. भीमराज उम्र 48 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति नागर निवासी टिगरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. गुड्डी उम्र 27 वर्ष पुत्री भीमराज जाति नागर निवासी टिगरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. मीना उम्र 25 वर्ष पुत्री भीमराज जाति नागर निवासी टिगरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादीगण:– विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।
प्रतिवादीगण:– विद्वान अभिभाषक श्री परवेश मेहता।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम टिगरी की खाता संख्या 85 की किता 3 का रकबा 3.31 है0 सम्पूर्ण हिस्से में से वादीगण 1 ल 2 व प्रतिवादी कम 1 ल 3 को 1/5, 1/5 हिस्से का तथा खाता संख्या 124 किता 1 रकबा 2.96 है0 मे प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/3 में वादीगण 1 ल 2 व प्रतिवादी कम 1 ल 3 को 1/15, 1/15 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी कम 2 व 3 ने अपना सम्पर्ण हिस्सा अपने भाई वादी कम 1 व 2 के पक्ष में बिना प्रतिफल प्राप्त किये हकत्याग कर दिया गया है।

अतः ग्राम टिगरी की खाता संख्या 85 किता 3 कुल रकबा 3.31 है0 में वादी कम 1 व 2 का हिस्सा 2/5, 2/5 व प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/5 तथा खाता संख्या 124 किता 1 रकबा 2.96 है0 में प्रतिवादी कम 1 के हिस्से 1/3 मे से बाद हकत्याग वादी कम 1 व 2 का हिस्सा 2/15, 2/15 व प्रतिवादी कम 1 को 1/15 हिस्से का खातेदार कृषक हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा करने की शर्त पर घोषित किया जाता है। रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(राहुल कुमार मल्हौत्रा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.08.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2020.09.15 14:01:58 IST
Reason: SelfAttested